रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/99

REGISTERED NO. DL-33001/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 1999 (आषाढ़ 5, 1921)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 1999 (ASADHA 5, 1921)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	583
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	459
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	765
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	619
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	545
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	2083
भाग IV— गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	621
भाग V— अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 583

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 459

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . 5

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 765

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 619

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 545

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2083

PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies . 521

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 1999

संकल्प

सं. एफ. 5 (1)/पी. डी./99—सामान्य सूचना हेतु यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान सामान्य भविष्य निधि और अन्य ऐसी निधियों के अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलता रहेगा। यह दर 1-4-1999 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. सामान्य आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध फैक्टरी कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. सी. पाण्डे
निदेशक (बजट)

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 1999

संकल्प

फाइल सं. ई-11015/1/99-हिन्दी—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक संशोधित योजना लागू करने का निश्चय किया गया है जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. योजना का नाम :

इस योजना का नाम "वाणिज्य हिन्दी ग्रंथ पुरस्कार योजना" है।

2. उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य वाणिज्य मंत्रालय में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए हिन्दी के लेखकों को प्रोत्साहित करना है।

3. विषय क्षेत्र :

वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों पर हिन्दी में लिखी गई श्रेष्ठ मूल पुस्तकों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा।

4. पुरस्कार :

भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय इस योजना के तहत दो वर्ष में एक बार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान करेगा :—

1. प्रथम पुरस्कार—25,000/ रुपए
2. द्वितीय पुरस्कार—18,000/- रुपए
3. तृतीय पुरस्कार—12,000/- रुपए
4. सांत्वना पुरस्कार—6,000/- रुपए

5. पात्रता :

इस पुरस्कार योजना में वे सभी हिन्दी लेखक भाग ले सकते हैं जो भारत के नागरिक हों। प्रकाशित पुस्तकों और हस्तलिपियों,

दोनों को ही स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि वे मूल रूप में लिखी गई हों और उनसे किसी अन्य व्यक्ति के कापी राइट का उल्लंघन न होता हो ।

6. पुरस्कार वर्ष :

यह योजना द्विवार्षिक आधार पर लागू की जाएगी अर्थात् पुरस्कार दो कलैण्डर वर्ष में एक बार दिए जाएंगे । प्रारम्भिक ब्लाक-वर्ष 1999-2000 होगा । इसके लिए केवल वर्ष 1998 में लिखी गई पुस्तकों के लिए आवेदन पत्र 30 जुलाई, 1999 तक प्राप्त किए जाएंगे । लेकिन भविष्य में प्रत्येक वर्ष के दौरान लिखी गई पुस्तकों के लिए आवेदन-पत्र अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में प्राप्त किए जाएंगे अर्थात् 1999 में लिखी गई पुस्तकों के लिए आवेदन-पत्र 31-3-2000 तक प्राप्त किए जाएंगे ।

7. पुस्तकों का मूल्यांकन

(1) वाणिज्य मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन और इस प्रकार के चयन को शासित करने वाले नियम बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार होगा ।

(2) पुरस्कार प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाले सर्वोत्तम पुस्तकों/हस्तलिपियों के चयन के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी ।

(3) मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य होंगे ।

(4) मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(5) यदि मूल्यांकन समिति के ही किसी सदस्य की पुस्तक पर विचार किया जाना हो तो वे मूल्यांकन समिति के सदस्य नहीं रहेंगे और उनके स्थान पर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय कोई अन्य सदस्य नियुक्त करेंगे ।

(6) मूल्यांकन समिति के सदस्य अलग-अलग पुस्तकों/हस्तलिपियों का अध्ययन करने के बाद अपनी बैठक करेंगे और पुरस्कार प्रदान करने के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे ।

(7) यदि पुरस्कार प्राप्त किसी पुस्तक/हस्तलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को सह-लेखकों में बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।

(8) यदि किसी बार यथेष्ट पुस्तकें/हस्तलिपियां पुरस्कार योग्य नहीं पाई गई हों तो वाणिज्य मंत्रालय के विवेकानुसार पुरस्कारों की संख्या घटाई जा सकती है अथवा हो सकता है कि कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाए ।

(9) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों विधिवत् स्वीकार हो जाने पर पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाएगी ।

(10) पुरस्कार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष समारोह में अथवा किसी अन्य उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे ।

(11) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करने की तिथि से काफी पहले ही पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कारों की सूचना देंगे ।

(12) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक उपयुक्त प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा ।

8. मूल्यांकनकर्ताओं को मानदेय :

(1) प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को प्रति पुस्तक 500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा । परन्तु मानदेय की अधिकतम सीमा केवल दो हजार रुपए होगी ।

(2) यदि मूल्यांकन समिति के सदस्यों को पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अन्तिम मूल्यांकन आदि हेतु दिल्ली के बाहर से बुलाया जाता है तो उन्हें सरकारी नियमानुसार बैठक की अवधि के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता मंजूर किया जाएगा ।

9. योजना के अंतर्गत आवेदन :

(1) लेखकों से अपेक्षित होगा कि वे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र तथा पुस्तकों/हस्तलिपियों की पांच प्रतियां निदेशक (राजभाषा) वाणिज्य मंत्रालय को भेजें । इस प्रकार प्राप्त पुस्तकों/हस्तलिपियों की प्रतियां सामान्यतः लौटाई नहीं जाएंगी ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय अपनी ओर से भी किसी पुस्तक को पुरस्कार हेतु विचार में शामिल कर सकता है ।

(3) कोई भी लेखक पुरस्कार योजना के लिए एक से अधिक प्रविष्टि भेज सकता है । परन्तु कोई भी लेखक दो वर्ष की अवधि विशेष में योजना के अंतर्गत एक से अधिक पुरस्कार का हकदार नहीं होगा ।

सामान्य :—

1. जो लेखक पुरस्कार के लिए विचारार्थ अपनी पुस्तक प्रस्तुत करेगा उसका कापी राइट समाप्त नहीं होगा।

2. इस योजना में किसी पुस्तक के अनुवाद पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

3. यदि कोई हस्तलिपि पुरस्कार योग्य समझी जाती है तो उस पर पुरस्कार हस्तलिपि को मुद्रित कराने तथा मुद्रित पुस्तक की 3 प्रतियां इस मंत्रालय को भिजवाने पर ही दिया जाएगा ।

4. इस पूरी पुरस्कार योजना अथवा इसके किसी अंश के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय को किसी भी समय कोई भी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

5. प्रतियोगी द्वारा अपनी शासकीय हैसियत से या अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में लिखी पुस्तक/संकलन या उसका अनुवाद सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

6. किसी सरकारी ठेके के अंतर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखवाई गई पुस्तकें सामान्यतया स्वीकार नहीं की जाएंगी ।

7. पाठ्य सामग्री की दृष्टि से पुस्तकें स्नातक स्तर की होनी चाहिए और पुस्तक का कलेवर 100 या अधिक मुद्रित पृष्ठ अथवा तदनुसार टंकित पृष्ठों का होना चाहिए ।

कृपया अपनी प्रविष्टि के साथ 10 × 22 से.मी. आकार के अपना पता लिखे हुए दो बिना टिकट वाले सादे लिफाफे अवश्य भेजें । निर्णय के संबंध में प्रतियोगियों के साथ सामान्यतः कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

रामकुमार कलोरिया
निदेशक (राजभाषा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 1999

संकल्प

सं. आर-38021/1/98-ओ. आर.-1—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की दो वर्ष की अवधि 10-6-99 को पूर्ण होने पर यह अवधि वर्तमान निबन्धनों तथा शर्तों पर दो और वर्षों अर्थात् 10-6-2001 तक बढ़ाई जाती है । समिति का संघटन निम्नानुसार होगा :—

अध्यक्ष

1. प्रो. एम. एम. शर्मा, पूर्व-निदेशक, विश्वविद्यालय रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, मुम्बई ।

सदस्य

2. डा. ए. पी. कुडचडकर, एमीरिटस प्रोफे. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवई, मुम्बई ।

3. प्रोफेसर के वासुदेवा, पूर्व अध्यक्ष, रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ।

4. डा. एस. वरदराजन, पूर्व मुख्य परामर्शदाता, योजना आयोग, नई दिल्ली ।

5. डा. पाल रत्नास्वामी, निदेशक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे ।

6. डा. सुधीर सिंघल, निदेशक (कार्यकारी), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ।

7. निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, असम ।

8. डा. के. वी. राघवन, निदेशक, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ।

9. श्री एन. के. शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली ।

10. श्रीमती ललिता बी. सिंह, पूर्व सलाहकार (पी सी), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, नई दिल्ली ।

11. महाप्रबंधक (अनु. और वि.), भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि., अनुसंधान और विकास निदेशालय, वडोदरा ।

12. श्री एस. एन. शर्मा, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी उपयोग प्रभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।

13. डा. ए. के. भटनागर, निदेशक (अनु. और वि.), इंडियन आयल का. लि., नई दिल्ली ।

14. श्री के. के. धींगड़ा, कार्यकारी निदेशक, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, नई दिल्ली ।

15. डा. एस. जे. चोपड़ा, निदेशक (तकनीकी) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।

16. श्री के. रवि कुमार, कार्यकारी निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र नई दिल्ली ।

17. सचिव का नामिती, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ।

सदस्य-सचिव

18. सलाहकार (रिफाइनरी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली ।

2. सचिव, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपर सचिव/संयुक्त सचिव और सलाहकार (अन्वेषण)

समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती होंगे। अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को भी समिति की बैठक में भाग लेने या समिति की सहायता करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों पर सलाह देना और ईंधनों और रसायनों के रूप में उपयोग के लिए हाइड्रोकार्बन के कच्चे माल का इष्टतम संसाधन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें क्रियान्वित करने के उपाय सुझाना।"

4. समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो परन्तु कम से कम एक तिमाही में एक बार अवश्य होगी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को समय समय पर उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

5. समिति के लिए अपेक्षित सचिवालयीन सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. समिति के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सरकारी प्रतिनिधियों के यात्रा/दैनिक भत्ते पर व्यय संबंधित विभागों/उपक्रमों द्वारा वहन किया जाएगा। समिति पर व्यय तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. चन्द्रशेखर, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 1999

संकल्प

सं. एफ. 29-11/99-ए एण्ड ए—राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति ने, दिनांक 2 मार्च 1998 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से, नियमों और विनियमों के नियम 57 के अनुसार, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नियमों और विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :—

नियम	वर्तमान प्रावधान	किए गए संशोधन
3. (2)	उपाध्यक्ष-अपर सचिव/संयुक्त सचिव संस्कृति विभाग, भारत सरकार (पदेन)	उपाध्यक्ष-सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार (पदेन)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पोस्ट बाक्स सं. 2, शामला हिल्स, भोपाल-462 013 को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. सत्यमूर्ति
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1999

सं. एफ. 24-17/97 एम-1—इस विभाग के दिनांक 30 मार्च, 1999 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, राष्ट्रपति जी श्री महेश कुमार कनोडिया, 41, रायल आइकरी-2, लाखानाड-वाला काम्पलेक्स, अन्धेरी, पश्चिम मुम्बई-400 058 (महाराष्ट्र) (क्र. सं. 10) को कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय-विज्ञान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली की सोसायटी की संरचना के नियम 4 (2) के अंतर्गत कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय-विज्ञान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान की पुनर्गठित सोसायटी के लिए इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा सोसायटी के पुनर्गठित होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नामित करते हैं।

साथ ही, इस विभाग के दिनांक 30 मार्च, 1999 के सम-संख्यक संकल्प, जिसके द्वारा सोसायटी नियमावली के नियम 4 (2) के अंतर्गत, पदेन सदस्यों का वर्णन करते हुए, कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय-विज्ञान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली की सोसायटी का पुनर्गठन किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, क्रम संख्या 21 के सामने निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, मुम्बई के स्थान पर निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली पढ़ा जाना चाहिए।

एम. सुब्बारायण,
अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 1st June 1999

RESOLUTION

No. F.5(1)-PD/99.—It is announced for general information that during the year 1999-2000, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall continue to carry interest at the rate of 12% (Twelve per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 1-4-1999. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. C. PANDEY,
Directetor (Budget).

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th June 1999

No. E-11015/1/99-Hindi.—The Government of India in the Ministry of Commerce have decided to introduce a revised scheme for giving awards to authors of original books in Hindi on the subjects pertaining to the Ministry of Commerce. The main features of the scheme are as follows :—

1. Name of the Scheme :

The name of the scheme is "Vanijya Hindi Granth Puraskar Yojna".

2. Objective :

The objective of the scheme is to encourage authors to write original books in Hindi on the subjects pertaining to the Ministry of Commerce.

3. Scope :

Only excellent original books written in Hindi on the subjects pertaining to the Ministry of Commerce will be taken into account for awards under the scheme.

4. Prizes :

The Ministry of Commerce, Government of India will award the following Cash Prizes once in two years under the scheme :

1. First Prize	Rs.	25,000/-
2. Second Prize	Rs.	18,000/-
3. Third Prize	Rs.	12,000/-
4. Consolation Prize	Rs.	6,000/-

5. Eligibility :

All Hindi writers can participate in the award scheme who are citizens of India, both published books and manuscripts will be accepted provided that they are written originally and do not infringe upon the copyright of any other person.

6. Prize Year :

The scheme will be operational on biennial basis i.e. the prizes will be given once in two Calendar year. The initial block year will be 1999-2000. For this, applications will be received by 30th July, 1999 for the books written in 1998 only. But, applications will be received in the first quarter of next year for the books written every year in future i.e. applications will be received by 31st March 2000 for the books written in 1999.

7. Assessment of Books :

(i) The Ministry of Commerce shall have the sole right of selection of the recipients of the awards and of the formulation of the rules governing such selection.

(ii) There shall be an Assessment Committee to select the best books/manuscripts suitable for the prizes.

(iii) The Assessment Committee shall consist of at least three members including the Chairman.

(iv) The Secretary, Ministry of Commerce will appoint the Chairman and members of the Assessment Committee.

(v) If any member of the Assessment Committee is considered for the award, he shall cease to be a member of that Assessment Committee and some other member will be appointed by the Secretary, Ministry of Commerce.

(vi) The members of the Assessment Committee will hold a meeting after studying the books/manuscripts separately and will submit their recommendations to the Government for awards.

(vii) If an aawrded book/manuscript is the work of more than one author, the amount of prize will be distributed equally amongst the co-authors.

(viii) If in any block of years requisite number of books/manuscripts are not found eligible for the award, then the number of prizes will be reduced or no prizes will be awarded at the discretion of the Ministry of Commerce.

(ix) After acceptance of the recommendations of the Assessment Committee, the awards shall be announced.

(x) The prizes will be awarded in a function specially organised or on any other suitable occasion.

(xi) In good time prior to the presentation of awards, the Secretary of the Ministry of Commerce shall intimate the recipients about the awards.

(xii) A suitable certificate shall also be given to the recipients of the awards.

8. Honorarium to evaluators :

(i) Each evaluator will be granted an honorarium of Rs. 500/- per book subject to a maximum of Rs. 2000/- only.

(ii) If the members of the Assessment Committee are invited from outside Delhi in connection with the final evaluation of the entries received for award etc., they will be granted TA/DA for the duration of the meeting as per Government rules.

9. Application under the scheme :

(i) The authors will be required to submit their applications in the prescribed format alongwith the books or manuscript, five copies each, to the Director (OL), Ministry of Commerce. Copies of the books/manuscripts, so received shall not ordinarily be returned to the author.

(ii) The Ministry of Commerce may ipsofacto bring any book in the consideration zone of the awards.

(iii) Any author may submit more than one entries for the award. No author will, however, be entitled for more than one awards under the scheme in any particular block of two years.

10. General :

(1) The author who submits his books for a prize shall not lose his copyright therein.

(2) This scheme does not include translated work.

(3) If any manuscript is found eligible for the award, then the award will be given only after getting the manuscript printed and after sending three copies of the printed books to this Ministry.

(4) The Ministry of Commerce shall have every right to take any decision at any time regading this scheme as a whole or any part thereof.

(5) Books written/compilations made or translation thereof done by the competitor in his official capacity or as a part of his official duties shall not be ordinarily entertained.

(6) Books got written under some Government contract or under some Government assignment scheme are ordinarily not acceptable.

(7) The level of the books should be of degree standard with view point of their text material. Books should contain 100 or more printed pages, or adequate corresponding typed pages.

Two self-addressed 10x22 cm plain envelops without stamps should be sent alongwith the entries. No correspondence will be entertained from the competitors in regard to selection of entries.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories and all the Ministries and Departments of the government of India.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAM KUMAR CALORIYA
Director (OL)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 4th June 1999

RESOLUTION

No. R-38021/1/98-OR.I.—The Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas on completion of its two years term on 10-6-99, is hereby granted extension for a period of another two years i.e. upto 10-6-2001 on the existing terms and conditions. The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Prof. M. M. Sharma,
Ex-Director,
University, Dept. of Chemical Technology.
University of Mumbai,
Maharashtra,
Mumbai.

Members

2. Dr. A. P. Kuduchadker,
Emirtlus Prof. Indian Institute of Technology,
Powai,
Mumbai.

3. Prof. K. Vasudeva,
Ex-Head of Chemical Engineering Deptt.,
Indian Institute of Technology,
New Delhi.

4. Dr. S. Varadarajan,
Ex-Chief Consultant,
Planning Commission
New Delhi.

5. Dr. Paul Ratnaswamy,
Director
National Chemical Laboratories,
Pune.

6. Dr. Sudhir Singhal,
Director (Acting),
Indian Institute of Petroleum,
Dehradun.

7. Director,
Regional Research Laboratory,
Jorhat,
Assam.

8. Dr. K. V. Raghavan,
Director
Indian Institute of Chemical Technology,
Hyderabad.

9. Shri N. K. Sharma,
Director,
National Research Development Corporation,
New Delhi.

10. Smt. Lalitha B. Singh,
Ex-Adviser (PC),
Deptt. of Chemicals & Petrochemicals,
New Delhi.

11. General Manager (R & D),
Indian Petrochemicals Corporation Ltd.,
R & D Directorate,
Baroda.

12. Shri S. N. Sharma,
Scientist,
Technology Utilisation Division,
Council of Scientific & Industrial Research,
Rafi Marg,
New Delhi.

13. Dr. A. K. Bhatnagar,
Director (R & D),
Indian Oil Corporation Limited,
New Delhi.

14. Shri K. K. Dhingra,
Executive Director,
Petroleum Conservation Research Association,
New Delhi.

15. Dr. S. J. Chopra,
Director (Technical),
Engineers India Limited,
New Delhi.

16. Shri K. Ravi Kumar,
Executive Director,
Centre for High Technology,
New Delhi.

17. Nominee of Secretary,
Deptt. of Science and Technology.
New Delhi.

Member-Secretary

18. Adviser (Refinery),
Ministry of Petroleum and Natural Gas,
New Delhi.

2. Secretary, Petroleum, Additional Secretary/ Joint Secretaries and Adviser (Exploration) in the Ministry of Petroleum and Natural Gas will be permanent invitees to the Committee meetings. The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. The terms of reference of the Committe will be as under :—

"To advise on policies relating to Science and Technology and Measures to implement them to ensure optimum processing of hydrocarbon raw material for use as fuels and chemicals."

4. The Committee shall meet as often as necessary but atleast once a quarter and will make suitable recommendations to the Ministry of Petroleum and Natural Gas for time to time.

5. The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

6. No remuneration will be paid to the Members of the Committe. However, the expenditure on TA/DA of the non-official members will be met by the Government of India. The TA/DA of Government Official representative of Central Public Sector Undertakings, will be met by the concerned Departments/Undertakings. The expenditure on the Committee will be borne by the Oil Industry Development Board (OIDB).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. CHANDRASEKHAR
Under Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT of CULTURE)

New Delhi, the 17th May 1999

RESOLUTION

No. F. 29-11/99-A&A.—In pursuance of the decision taken in its meeting held on 2nd March, 1998, the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, with the prior approval of the Government of India, have, in accordance with the Rule 57 of the Rules and Regulations, made the following amendments in the Rules and Regulations of the Rashtriya Manav Sangrahalaya.

Rule	Existing Provision	Amendments adopted
3. (iii)	Vice-President, Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Culture, Government of India (ex-officio).	Vice-President, Secretary, Department of Culture, Government of India (ex-officio).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Post Box No. 2, Shamla Hills, Bhopal-462 013.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAMOORTHY
Jt. Secy.

New Delhi, the 28th May 1999

RESOLUTION

No. F. 24-17/97-M.I.—In continuation of this Department's Resolution of even number dated 30th March, 1999, the President is pleased to nominate Shri Mahesh Kumar Kanodia, 41, Royal Aicuri-2, Lakanad Wala Complex, Andheri, West Mumbai-400 058 (Maharashtra) (Sl. No. 10) under Rules 4(ii) of the Composition of the Society of National Museum Institute of History of Art, Conservation & Museology, New Delhi, on the Reconstituted Society of National Museum Institute of History of Art. Conservation & Museology, New Delhi for a period of three years from the date of issue of the resolution or till the Society is reconstituted whichever is earlier.

Also, in partial modification, of this Department's Resolution of even number dated 30th March, 1999 reconstituting the Society of National Museum Institute of History of Art. Conservation & Museology, New Delhi under the Rule 4(ii) of the Rules of the Society, describing ex-officio members, it should be read as Director, National Gallery of Modern Art, New Delhi instead of Director, National Gallery of Modern Art, Mumbai against Sl. No. 21.

M. SUBBARAYAN
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1999